रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1133] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2015/ ज्येष्ठ 8, 1937
No.1133] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2015/JYAISTHA 8, 1937

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2015

का.आ.1432(अ).—केंद्र सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धारा 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन एवं विकास को सुसाध्य बनाने के प्रयोजन से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के ढाँचे (जिसे इसमें इसके पश्चात् "ढाँचा" कहा गया है) के लिए अनुदेशों को एतद्वारा अधिसूचित करती है जो सरकारी राजपत्र नामत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनर्जीवन एवं पुनर्वास के लिए ढाँचा में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

1. **आरंभिक दबाव की पहचान:**

(1) **बैंक ऋणदाताओं की पहचान:** सूलमउ के ऋण खाते को नॉन फॉर्मिंग एसेट (एनपीए) में होने से पूर्व बैंकों/ऋणदाताओं को नीचे दी गई तालिका के अनुसार विशेष उल्लिखित खाता (एसएमए) के अधीन तीन उपश्रेणियाँ सृजित कर खाते में दबाव की पहचान करना है:

एसएमए उप श्रेणी	वर्गीकरण के आधार
एसएमए-0	30 दिन से अधिक के लिए नहीं अतिदेय मूलधन या ब्याज का भुगतान करना लेकिन आरंभिक दबाव का चिह्न दर्शाने वाला खाता
एसएमए-1	31-60 दिनों के बीच अतिदेय मूलधन या ब्याज का भुगतान
एसएमए-2	61-90 दिनों के बीच अतिदेय मूलधन या ब्याज भुगतान

(2) उद्यम द्वारा पहचान: कोई भी सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम स्वैच्छिक रूप से इस आदेश के अधीन कार्यवाही शुरू कर सकता है यदि उद्यम अपने व्यवसाय की असफलता या ऋणों का भुगतान करने की असमर्थता या असमर्थता की संभावना और अपने सम्पूर्ण निवल मूल्य के आधे या अधिक के बराबर उद्यम की संचित हानियों के पूर्व समुचित रूप से समझता है।

(3) इस आदेश के तहत कार्यवाही शुरू करने के आवेदन का सत्यापन प्राधिकृत व्यक्ति के शपथ पत्र द्वारा किया जाएगा।

(4) जब ऋणदाता से ऐसा अनुरोध प्राप्त होता है तो खाते को एसएमए-0 के रूप में तैयार किया जाना चाहिए और समिति तत्काल गठित की जानी चाहिए।

2. आपदाग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए समिति

(1) इस आदेश के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किसी भी विनिमय के अधीन सभी बैंक ऐसे स्थानों जिसे उन सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के समुचित पहुँच उपलब्ध करने के लिए ऐसे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा आवश्यक समझा जाए, पर एक या अधिक समितियाँ गठित करेंगे जिन्होंने ऐसे बैंक से ऋण सुविधा ली है।

(2) पैरा 3 में वर्णित श्रेणियों में शामिल करने के अधीन आपदाग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पास सुधारात्मक कार्य योजना पर निर्णय लेने तथा इस ढांचे में निर्धारित विनियमों के अनुसार उसकी अवधि निर्धारित करने हेतु उक्त उप पैरा (1) में यथावर्णित आपदाग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए समिति तक पहुँच होगी।

बशर्ते कि जहाँ समिति यह निर्णय लेती है कि सुधारात्मक कार्य योजना के भाग के रूप में वसूली की जानी है, वसूली की पद्धति एवं विधि बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मौजूदा नीतियों के अनुसार होंगी। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किसी विनिमय के अधीन उद्यम को ऋण सुविधा दी है।

3. आपदा ग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए समिति का गठन

(1) समिति का गठन निम्न प्रकार होगा:

(क) बैंक का क्षेत्रीय/आंचलिक प्रमुख, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालय स्तर पर बैंक के सूलमउ ऋण विभाग के प्रभावी अधिकारी, जो समिति के सदस्य एवं संयोजक होगा;

(ग) बैंक द्वारा नामित किए जाने वाले मामलों से संबंधित सूलमउ में विशेषज्ञता वाले एक स्वतंत्र बाहरी विशेषज्ञ

(घ) राज्य सरकार से एक प्रतिनिधि

(2) समिति का गठन, इसके सदस्यों का कार्यकाल रिक्तियां भरने की पद्धति तथा समिति के कार्य करने में पालन की जाने वाली क्रियाविधि बैंक के निदेशक मंडल के द्वारा यथा निर्धारित होगी।

4. सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) के लिए समिति के आवेदन

(1) कोई भी पात्र आपदाग्रस्त सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम या कोई बैंक या ऋणदाता जिसने ऐसे उद्यम को ऋण सुविधा दी है, वह सुधारात्मक कार्य योजना तथा उसकी अवधि पर निर्णय के लिए निर्धारित तरीके से समिति को आवेदन करेगा:

बशर्ते कि यदि कोई सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम ने एक से अधिक बैंक से ऋण सुविधाएं ली हैं:

(क) उस बैंक की समिति में आवेदन दिया जाएगा जिससे उद्यम ने अधिकतम ऋण राशि ले रखी है,

(ख) ऐसी समिति में रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियमों में यथा उल्लिखित अनुपात में अन्य संबंधित बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(2) सहभागी बैंक/प्रभावित ऋणदाता समिति की सभी कार्यवाहियों में एक-दूसरे का सहयोग करेंगे, और

(3) समिति के समक्ष किसी मुद्दे या इस आदेश में निर्धारित किसी मामले पर सहभागी बैंकों/प्रभावित ऋणदाताओं के बीच असहमति के मामले में ऐसी असहमति का समाधान रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

(4) पात्रता मानदंड तथा आवेदन दायर करने का आधार और समय सीमा जिसके अधीन, ऐसे आवेदन रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार दिया जाएगा। उक्त पात्रता मानदंड एवं आधार को पूरा करने वाले आवेदन को समिति द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

(5) जहाँ कोई आवेदन सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम द्वारा दायर किया जाता है वहाँ ऐसा आवेदन दायर किया जाएगाः

(क) भारत रिजर्व बैंक के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्म में, और

(ख) राज्य या केन्द्र सरकार तथा असुरक्षित ऋणदाताओं से ली गई देनदारियों सहित उद्यम की सभी देनदारियों का विवरण संलग्न कर, और यदि।

(6) जहाँ कोई आवेदन किसी बैंक द्वारा दायर और समिति द्वारा स्वीकार किया जाता है, वहाँ समिति रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ऐसे आवेदन के बारे में संबंधित उद्यम को अधिसूचित करेगी और उद्यम से निम्नलिखित कार्य की अपेक्षा करेगीः

(क) आवेदन पर प्रतिक्रिया देनी होगी या समिति के समक्ष अभ्यावेदन देना होगा, और

(ख) अपने सभी देनदारियों यदि कोई हो तो उसे ऐसी सूचना प्राप्त होने के 15 कार्य दिवसों के भीतर ब्यौरा देना होगा जिसमें राज्य या केन्द्र सरकार और असुरक्षित ऋणदाताओं की देनदारियां होंगी:

बशर्ते कि यदि उद्यम उक्त अवधि के भीतर प्रतिक्रिया नहीं देगा तो समिति एक पक्षीय कार्रवाई करेगी।

IndiaCode

(7) उद्यम की देनदारियों से संबंधित सूचना मिलने पर समिति, जैसा वह उचित समझती है, उद्यम के ऐसे ऋणदाताओं को आवेदन के बारे में उन्हें सूचित करते हुए सूचना भेज सकते हैं और उन्हें ऐसी सूचना मिलने के पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर समिति के समक्ष अभ्यवेदन देने की अनुमति दे सकती है:

(8) प्राप्त आवेदन को स्वीकार करने पर समिति रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार सुधारात्मक कार्य योजना के अंतर्गत अपनाए जाने वाले विकल्प पर निर्णय लेगी और रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ऐसे निर्णय के बारे में उद्यम को सूचित करेगी।

(9) यदि समिति द्वारा निर्णीत सुधारात्मक कार्य योजना में उद्यम के पुनर्जीवन पर विचार किया जाता है तो समिति रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार ऐसी योजना अवधि को अंतिम रूप देगी तथा रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ऐसी अवधि के बारे में उद्यम को सूचित करेगी।

(10) पुनर्जीवन के लिए सुधारात्मक कार्य योजना की अवधि को अंतिम रूप देने पर, उस योजना के कार्यान्वय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित बैंको द्वारा पूरा किया जाएगा।

(11) सुधारात्मक कार्य योजना को शुरू करने की तारीख और उस तारीख से योजना सुधारात्मक कार्य योजना के सभी पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगी।

(12) जहाँ सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के संबंध में समिति द्वारा कोई आवेदन स्वीकार किया जाता है तो उद्यम अपनी उत्तरजीविता के लिए आवश्यक अनुबंध जारी रखेगा। तथापि, समिति ऐसे प्रतिबंध लगाती है जिसे वह उद्यम के भावी पुनर्जीवन के लिए उचित समझे।

(13) आवेदन स्वीकार करने पर, समिति ऐसे आवेदन के स्वीकार करने की तारीख से 7 (सात) कार्य दिवसों की अवधि के भीतर उद्यम को यह कहते हुए सूचित करेगी कि ऐसा आवेदन समिति के विचाराधीन है।

(14) समिति सुधारात्मक कार्य योजना में काराधान या किसी अन्य सांविधिक बकायों के भुगतान के लिए समुचित प्रावधान करेगी तथा उद्यम संबंधित काराधान या सांविधिक प्राधिकरण को ऐसी योजना प्रस्तुत करने के लिए और ऐसी भुगतान योजना के अनुमोदन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

5. समिति द्वारा सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी)

(1) समिति खाते में दबाव के समाधान के लिए विभिन्न विकल्प तलाश सकती है।

(2) समिति प्रयत्न पुनर्निधारण या वसूली को प्रोत्साहित करने का नहीं है बल्कि आधारभूत परिसम्पत्तियों और ऋणदाताओं के ऋणों का आर्थिक मूल्य संरक्षित रखने के लिए शीघ्र एवं संभव समाधान करने एवं अपने व्यवसाय को जारी रखने के लिए उद्यम को अनुमति देने का भी है।

(3) सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) के संचालन की अवधि के दौरान उद्यम को अपने व्यवसाय चलाने के लिए सुरक्षित और असुरक्षित ऋण दोनों का लाभ लेने की अनुमति दी जाएगी।

(4) समिति द्वारा सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) के अंतर्गत विकल्पों में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकते हैं :

(i) परिशोधन:- खाते को नियमित करने के लिए उधारकर्ताओं से विशेष वादा मिलना ताकि खाता एसएमए स्थिति से आता है या नॉन फॉर्मिंग एसेट (एनपीए) श्रेणी में नहीं जाता है। वादा को अपेक्षित समयावधि के भीतर तथा मौजूदा ऋणदाताओं की ओर से कोई क्षति या त्याग शामिल किए बिना अभिज्ञेय रोकड़ प्रवाह के साथ सहायता की जानी चाहिए। समिति उधारकर्ताओं को आवश्यकता आधारित अतिरिक्त वित्त प्रदान करने पर, यदि आवश्यक समझा गया हो, तो प्रक्रिया के परिशोधन के भाग के रूप में विचार कर सकती है। तथापि इसे सख्ती से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अतिरिक्त वित्त पोषण खाते को हमेशा भरा-पूरा रखने के उद्देश्य से उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

(ii) पुनर्निधारण:- खाते के पुनर्निधारण की संभावना पर विचार करना यदि यह प्रथम दृष्टया व्यवहारी और उधारकर्ता दुराग्रही चूककर्ता नहीं है, अर्थात् निधियों का अंतरण, धोखेबाजी या अपकरण आदि नहीं है। इस अवस्था में प्रोत्सहकों से वादा परिसम्पत्ति की कानूनी हकों की प्रतियों द्वारा समर्थित अपने निवल मूल्य विवरणी के साथ-साथ अपनी निजी गारंटी को देने के लिए वादा एक घोषणा के साथ प्राप्त किया जा सकता है कि वे कोई लेनदेन नहीं करेंगे जो समिति की अनुमति के बिना परिसम्पत्ति को संक्रामित करेगा। ऋणों की जमानत/वसूलनीयता को प्रभावित करके उधारकर्ताओँ द्वारा वादा से किसी विचलन को वसूली प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक वैध घटक के रूप में माना जा सकता है। संपोषणीय होने संबंधी इस कार्य के लिए समिति में एक अतर उधारदाता-ऋणदाता करार (आईसीए) पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और ऋणी उधारदाता करार (डीसीए) पर हस्ताक्षर करने की उधारकर्ता से अपेक्षा करते हैं जो किसी पुनर्निधारण प्रक्रिया का कानूनी आधार उपलब्ध कराएगा। आईसीए तथा डीसीए के लिए कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग (सीडीआर) तंत्र द्वारा प्रयुक्त फॉर्मेट, और (ईडीआर) जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाए। इंटरप्राइजडेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए समुचित परिवर्तनों के साथ यदि आवश्यक समझा जाए, पर विचार किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त पुनर्निधारण की निर्बाध प्रक्रिया को समर्थ करने के लिए डीसीए में एक 'स्टैंड स्टिल' खंड निर्धारित किया जा सकता था। स्टैंड स्टिल खंड का यह अर्थ नहीं है कि उधारकर्ता उधारदाता को भुगतान करने से

रोकता है। आईसीए यह भी निर्धारित कर सकता है कि सुरक्षित और असुरक्षित उधारदाता दोनों को अंतिम समाधान पर सहमत होने की आवश्यकता है।

(iii) वसूलीः उक्त (क) एवं (ख) पर एक बार प्रथम दो विकल्पों को संभव नहीं समझा जाता है, देय वसूली प्रक्रिया का सहारा लिया जा सकता है। समिति इन प्रयासों एवं परिणामों को अनुकूलतम बनाने के उद्देश्य से उपलब्ध विभिन्न वैध और अन्य वसूली विकल्पों के बीच अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम वसूली प्रक्रिया पर निर्णय ले सकती है।

6. समिति में राशि के अनुसार अधिकाँश उधारकर्ताओं द्वारा जिन निर्णयों पर सहमति दी गई वे खाते के पुनर्निधारण के साथ कार्यवाही के लिए आधार के रूप में विचार किया जाएगा और वे आईसीए के निबंधनों के अनुसार सभी उधारदाताओं के लिए बाध्यकारी होंगे। तथापि, यदि समिति वसूली के साथ आगे बढ़ने के लिए निर्णय लेती है, बाध्यकारी निर्णय के लिए न्यूनतम मानदंड किसी संगत कानून/अधिनियमों के अंतर्गत यदि कोई हो तो लागू होगा।

7. (1) निम्नलिखित से 30 दिनों के भीतर सीएपी के लिए अपनाए जाने वाले विकल्प पर समिति का सहमत होना अपेक्षित है(i) एक या अधिक उधारदाता द्वारा एसएम-2 के रूप में रिपोर्ट की जा रही खाते की तारीख, या (ii) मूल आधारों से समिति का गठन करने के लिए उधारकर्ताओं से अनुरोध प्राप्त करने, यदि इसका अर्थ आसन दबाव है।

(2) समिति को ऐसे करार पर पहुँचने की तारीख से अगले 30 दिनों के भीतर विस्तृत अंतिम सीएपी पर हस्ताक्षर करने चाहिए।

8. (1) यदि समिति यह निर्णय लेती है कि उद्यम को पुनर्संगठित करने या पुनर्जीवित करने के लिए वित्तीय संसाधन अपेक्षित होगा तो वह ऐसे वित्त के प्रावधान के लिए योजना तैयार कर सकती है।

(2) यदि मौजूदा प्रोत्साहन अतिरिक्त निधियां प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं हैं तो समिति सुरक्षित और असुरक्षित ऋण उगाहने तथा ऐसे ऋणों के लिए अपनी परिसम्पत्ति पर परिवर्तन करने के लिए उद्यम को अनुमति दे सकते हैं।

बशर्ते इसके अतिरिक्त, समिति पैरा 4 (7)के अंतर्गत सभी मान्यता प्राप्त उधारदाताओं की सहमति से किसी मौजूदा ऋण की अपेक्षा और अधिक अग्रता ऐसे ऋण उपलब्ध करा सकती है।

9. यदि समिति विकल्प (4) (i) या (ii) पर निर्णय लेती हैं लेकिन खाता विकल्प 4 (i) या (ii) के अंतर्गत सहमत निबंधनों के अनुसार कार्य करने में असफल रहता है तो समिति को विकल्प (4) (iii) के अंतर्गत वसूली करनी चाहिए।

10. यदि समिति सीएपी के रूप में खाते के पुनर्निधारण पर निर्णय लेती है तो इसके पास खाते को ईडीआर प्रकोष्ठ पुनर्निधारण संबंधी निर्णय के पश्चात् ईडीआर प्रकोष्ठ में भेजने या ईडीआर तंत्र के उसकी स्वतंत्र का पुनर्निधारण करने का विकल्प होगा।

11. समिति का पुनर्गठन

(1) यदि समिति ईडीआर तंत्र के स्वतंत्र खाते का पुनर्निधारण करने का निर्णय लेती है तो समिति को विस्तृत प्रौद्योगिकी व्यवहार्य (टीईवी) अध्ययन करना चाहिए और यदि व्यवहार्य पाया गया हो तो यथोपरि अंतिम सीएपी पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पुनर्निधारण पैकेज का अंतिम रूप देना चाहिए।

(2) 10 करोड़ रुपये से कम के समेकित प्रभावन (एई) के साथ खाते के लिए, उपर्युक्त पुनर्निधारण पैकेज को समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए तथा कार्यान्वयन के लिए अगले 15 दिनों के भीतर उधारदाताओँ द्वारा उधारकर्ता को संसूचित किया जाना चाहिए।

(3) 10 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक के साथ खाते के लिए, उपर्युक्त टीईवी अध्ययन तथा पुनर्निधारण पैकेज को निश्चित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले विशेषज्ञों की स्वतंत्र मूल्यांकन समिति (आईईसी) द्वारा मूल्यांकन का विषय बनाया जाना होगा।

(4) आईईसी यह सुनिश्चित करने के बाद व्यवहार्यता पहलुओं को जाँचेगी कि पुनर्निधारण के निबंधन उधारदाताओं के लिए उचित है।

(5) आईईसी को 30 दिनों की अवधि के भीतर समिति को इन मामलों में अपनी सिफारिश देनी अपेक्षित होगी।

(6) तत्पश्चात् आईईसी की राय पर विचार करते हुए, समिति पुनर्निधारण, उधारदाताओं एवं उधारकर्ताओँ के बीच आपसी सहमति से सभी निबंधनों एवं शर्तों सहित पुनर्निधारण पैकेज के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेती है जिसका अनुमोदन सभी उधारदाताओँ द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उसे कार्यान्वयन के लिए अगले 15 दिनों के भीतर उधारकर्ताओँ को संसूचित किया जाएगा।

(7) वर्तमान मार्ग निर्देशों के अंतर्गत यथा लागू परिसम्पत्ति वर्गीकरण लाभ ऐसे पुनर्निधारित खातों को प्राप्त होगा मानो उन्हें ईडीआर तंत्र के अंतर्गत पुनर्निधारित किया गया हो। इस प्रयोजन से, समिति के गठन की तारीख को खाते का परिसम्पत्ति वर्गीकरण पर ध्यान रखा जाएगा।

(8) उपर्युक्त समय सीमा अधिकतम दी गई समयावद्धि हैं और समिति को साधारण पुनर्निधारण के मामले में यथा संभव पुनर्निधारण पैकेज पर पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए।

(9) समिति के एक या अधिक उधारदाताओं द्वारा मानक, एसएमए या घटिया के रूप में रिपोर्ट की गई परिसम्पत्तियों के संबंध में मात्र समिति द्वारा शुरू किया जाएगा।

(10) समिति द्वारा उन मामलों में जहाँ ऋण का कुछ भाग संदेहास्पद है अर्थात् खाता अधिकाँश उधारकर्ता पर विचार किया जा सकता है।

(11) दुराग्रही चूककर्ता पुनर्निधारण के लिए पात्र नहीं होते हैं। तथापि, समिति दुराग्रही चूककर्ता के रूप में उधारकर्ता के वर्गीकरण के कारण की समीक्षा कर सकती है और स्वयं को संतुष्ट कर सकती है कि उधारकर्ता दुराग्रही चूक को परिशोधित करने की स्थिति में है। तथापि, ऐसे मामलों को पुनर्निधारित करने संबंधी निर्णय पर समिति के भीतर अलग-अलग बैंकों के मंडलों का अनुमोदन भी प्राय है जिन्होंने दुराग्रही चूककर्ताओँ के रूप में उधारकर्ता को वर्गीकृत किया है।

12. (क) खाते की व्यावहार्यता उनके द्वारा निर्धारित स्वीकार्य व्यवहार्यता बेंचमार्कों पर आधारित समिति द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।

(ख) पैरामीटरों में ऋण इक्विटी अनुपात, ऋण सेवा कवरेज अनुपात, लिक्विडिटी/वर्तमान अनुपात तथा पुनर्निधारित अग्रिम की उचित राशि में कमी के स्थान पर अपेक्षित प्रावधान राशि शामिल हो सकती है।

(ग) समिति ईडीआर तंत्र द्वारा अपनाये गये व्यवहार्यता पैरामीटरों के लिए बैंचमार्कों पर विचार कर सकती है और इस तथ्य पर विचार करते हुए उचित समायोजनों के साथ उसे अपना सकती है।

12. ईडीआर सेल को समिति द्वारा भेजे गए पुनर्निधारण

(1) यदि पुनर्निधारण संबंधी निर्णय लेने के पश्चात् समिति ईडीआर सेल को खाते पर विचार करने का निर्णय लेती है तो निम्नलिखित प्रक्रिया विधि का अनुपालन किया जा सकता है।

(क) चूँकि खाते की प्रारंभिक व्यवहार्यता पर समिति द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है, इसलिए सीडीआर/ईडीआर प्रकोष्ठ को समिति द्वारा उसे भेजने की तारीख से 30 दिनों के भीतर समिति के परामर्श से प्रौद्योगिकी आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) अध्ययन तथा पुनर्निधारण सीधे तैयार करना चाहिए।

(ख) 10 करोड़ रुपये से न्यून की एई के साथ खाते के लिए, उपर्युक्त पुनर्निधारण पैकेज को अनुमोदन के लिए ईडीआर सशक्त समूह (ईजी) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ग) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, ईडी आर, ईजी संशोधन का अनुमोदन या सुझाव दे सकती है लेकिन सुनिश्चित कर सकती है कि कुल 90 दिनों की अवधि के भीतर अंतिम निर्णय लिया जाता है जिसे ईडीआर प्रकोष्ठ सेल को भेजने की तारीख से अधिकतम 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

(घ) समिति द्वारा ईडीआर सेल को भेजे गए मामले पर अगले 30 दिनों के भीतर ईडीआर,ईजी द्वारा अंतिम रूप से निर्णय लिया जाना होगा। यदि ईडीआर, ईजी द्वारा अनुमोदित हो तो पुनर्निधारण पैकेज को सभी उधारदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए तथा कार्यान्वयन के लिए अगले 30 (तीस) कार्य दिवसों के भीतर उधारकर्ता को संसूचित किया जाना चाहिए।

(2) 10 करोड़ रुपये तथा उसके अधिक के एई के साथ खाते के लिए ईडीआर सेल द्वारा तैयार टीईवी अध्ययन तथा पुनर्निधारण पैकेज विशेषज्ञों की स्वतंत्र मूल्यांकन समिति (आईईसी) द्वारा मूल्यांकन का विषय बनाया जाना होगा।

(3) स्वतंत्र मूल्यांकन समिति का गठन एवं अन्य ब्यौरे को बैंकों को आईबीए द्वारा अलग से संसूचित किया जाएगा। स्वतंत्र मूल्यांकन समिति यह सुनिश्चित करने के बाद व्यवहार्यता की जाँच करेगीं कि पुनर्निधारण के निबंधन उधारदाताओं के लिए उचित हैं।

(4) आईईसी को 30 दिनों की अवधि के भीतर समिति को सूचना देते हुए ईडीआर सेल को इन पहलुओं में अपनी सिफारिश देगी।

(5) आईईसी की राय पर विचार करते हुए यदि समिति पुनर्निधारण के साथ आगे बढ़ने के लिए निर्णय लेती है तो उसे ईडीआर सेल को संसूचित कर दिया जाएगा तथा ईडीआर सेल को आईईसी की राय प्राप्त होने के 7 दिनों की कुल अवधि के भीतर ईडीआर, ईजी को पुनर्निधारण पैकेज प्रस्तुत करेगा।

(6) ईडीआर ईजी को अगले 30 (तीस) दिनों के भीतर अनुमोदन/संशोधन/अस्वीकृति पर निर्णय लेना चाहिए।

(7) यदि ईडीआर ईजी द्वारा अनुमोदित हो तो, पुनर्निधारण पैकेज को सभी उधारदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा कार्यान्वयन के लिए अगले 30 (तीस) कार्य दिवसों के भीतर उधारकर्ता को संसूचित किया जाएगा।

13. समिति/ईडीआर प्रकोष्ठ द्वारा पुनर्निधारण से संबंधित अन्य मुद्दे/शर्तें

(1) इस ढांचे के अंतर्गत पुनर्निधारण पैकेज समय-सीमा को निर्धारित करेगा जिसके दौरान 6 महीने की अवधि के पश्चात् कुछ वित्तीय अनुपातों में सुधार जैसे कुछ वित्तीय अनुपातों में सुधार जेसे कुछ व्यवहार्यता माइलस्टोन को प्राप्त किया जा सकता है।

(2) समिति समय-समय पर माइलस्टोनों की उपलब्धि/अनउपलब्धि के लेखा की समीक्षा करेगी और जैसे उचित समझे गए के अनुसार वसूली उपायों सहित उचित कार्रवाई प्रारंभ करने पर विचार करेगी।

(3) पुनर्निधारण चाहे समिति का हो या ईडीआर का हो उसे निर्धारित समयावधियों के भीतर पूरी किया जाना है।

IndiaCode

(4) समिति और ईडीआर सेल को निर्धारित समयावधि का अधिकतम प्रयोग करेगी ताकि समेकित समय सीमा को पुनर्निधारण के किसी तरीके के अधीन नहीं तोड़ा जा सके।

(5) यदि समिति या इडीआर सेल निर्धारित सीमा के स्थान पर किसी कार्य के लिए थोड़ा समय लेता है तो उसके पास अन्य कार्यकलापों के लिए बचे समय का प्रयोग का विवेकाधिकार हो सकता है बशर्ते कि समेकित समय सीमा को नहीं तोड़ा जाता है।

(6) पुनर्निधारण का सामान्य सिद्धांत यह होगा कि स्टेकहोल्डर ऋणधारी के बजाय प्रथम हानि को बर्दाश्त् करते हैं। प्रोत्साहकों के और अधिक हित सुनिश्चित करने हेतु समिति/ईडीआर जब ऋण का पुन: निर्धारण किया जाता है तो निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कर सकती हैं:

(क) उधारदाता को उसके त्याग की क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहकों द्वारा कंपनियों की इक्विटी के अंतरण की संभावना;

(ख) प्रोत्साहक अपनी कंपनियों में और अधिक इक्विटी लगा रहे हैं;

(ग) उद्यम के कायापलट होने तक सुरक्षा न्यास को प्रोत्साहकों की परिसम्पत्तियों का अंतरण अथवा निलंब संपत्ति व्यवस्था। इससे प्रबंधन नियंत्रण में परिवर्तन होगा यदि उधारदाता इसका पक्ष लेता है तो।

(7) यदि उधारदाता ने कार्यकलापों की विविधता अथवा विस्तार शुरू किया है जिसके फलस्वरूप समूहों के कोर व्यापार पर प्रभाव पड़ा है। गैर कौर संपत्ति अथवा अन्य संपत्तियों की बिक्री के लिए खंड को लेखा के पुन: निर्धारण के लिए यथाशर्त निर्धारित किया जा सकता है, यदि टीईवी अध्ययन के अंतर्गत लेखा गैर कोर कार्यकलाप और अन्य संपत्तियों को हटाने पर लेखा के व्यवहारिक बनने की संभावना है।

(8) सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में देयताओं के पुन:निर्धारण के उधारदाता विनियमन और सांविधिक अपेक्षाओं के अध्यधीन कंपनी की इक्विटी को जारी कर उनकी हानि/त्याग (शुद्ध वर्तमान मूल्य के संदर्भ में लेखा के शुद्ध मूल्य में कमी) की प्रतिपूर्ति की जाए। ऐसे मामलों में पुन:निर्धारण समझौते में पुन: प्रतिपूर्ति खंड के किसी अधिकारी का समावेश नहीं किया जाएगा।

(9) यदि उधारदाता के त्याग को इक्विटी जारी कर पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है तो पुन: प्रतिपूर्ति खंड का अधिकार कमी की सीमा तक के लिए समाविष्ट किया जाए।

(10) सुरक्षित उधारदाताओं आंशिक रूप से सुरक्षित उधारदाता और असुरक्षित उधारदाता, को उपलब्ध भिन्न-भिन्न सुरक्षा हित में अंतर करने के उद्देश्य से समिति/ईडीआर निम्नलिखित जैसे विभिन्न विकल्पों पर विचार कर सकती है:

(क) पुनर्अदायगी के बारे में उधारदाताओं के उपर्युक्त वर्गों में अंतर उधारकर्ता समझौता में पूर्व समझौता।

(ख) सुरक्षित क्रेडिटरों की प्राथमिकता को निर्धारित करते हुए संरचित समझौता

(ग) कुछेक पूर्व सहमत अनुपात में सुरक्षित आंशिक रूप से सुरक्षित और असुरक्षित उधारदाता के बीच पुन: भुगतान की कार्रवाई का विनियोजन करना।

11. समिति, पैरा 4 (7) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त उद्यम अथवा क्रेडिटर के अनुरोध पर उद्यम अथवा ऐसे क्रेडिटर के द्वारा यथा अनुरोध कार्रवाई से संबंधित सूचना उपलब्ध कराएगी।

14. परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड

(1) जब पुन:निर्धारण प्रस्ताव पर समिति/ईडीआर विचार कर रही है तो सामान्य संपत्ति वर्गीकरण मानदंड लागू रहेगा।

(2) संपत्ति के पुन:वर्गीकरण की प्रक्रिया मात्र इसलिए नहीं रोकी जानी चाहिए कि पुन:निर्धारण प्रस्ताव पर समिति/ईडीआर द्वारा विचार किया जा रहा है।

(3) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार खातों के पुनर्निधारण पर विशेष परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभ प्रथम ढांचे के अंतर्गत पुनर्निधारण के लिए शुरू किए खाते के लिए उपलब्ध होगा।

15. समीक्षा

(1) यदि समिति निर्णय करती है के उद्यम के विरूद्ध वसूली कार्रवाई शुरू की जाती है तो ऐसे उद्यम इस समिति के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 15 कार्य दिवसों की अवधि में समिति द्वारा निर्णय की समीक्षा के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

(2) समीक्षा के लिए अनुरोध निम्नलिखित आधारों पर किया जाएगा

(क) अभिलेख पर कोई गलती अथवा चूक; अथवा

(ख) नये अथवा संगत तथ्य/सूचना का पता लगना जिसे उद्यमों द्वारा उचित परिश्रम के वाबजूद पूर्व में समिति समक्ष नहीं रखी जा सकती।

(3) एक समीक्षा आवेदन पर फाइलिंग की तारीख से 30 दिन की अवधि में समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा और ऐसी समीक्षा के फलस्वरूप समिति उद्यमों के पुनर्जीवन के लिए नयी सुधारात्मक कार्य योजना के लिए निर्णय कर सकती है जो तदनुसार लागू होगा।

16. कठिनाइयों का निवारण

इस ढांचे के कार्यान्वयन के दौरान यदि कोई कठिनाई होती है तो उसे केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट किया जाएगा।

[सं. एनसीईयूएस सेल/4/2010-खण्ड]

एस.एन. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, 29th May, 2015

S.O. 1432(E).—In exercise of the powers conferred in section 9 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, the Central Government, for the purpose of facilitating the promotion and development of Micro, Small and Medium Enterprises, hereby notifies the instructions for the Framework for Revival and Rehabilitation of Micro, Small and Medium Enterprises (hereinafter referred to as the "Framework"), which shall come into force on the date of its publication in the official Gazette, namely the **Framework for Revival and Rehabilitation of Micro, Small and Medium Enterprises**.

1. Identification of incipient stress

(1) Identification by Banks or creditors - Before a loan account of a Micro, Small and Medium Enterprise turns into a Non-Performing Asset (NPA), banks or creditors are required to identify incipient stress in the account by creating three sub-categories under the Special Mention Account (SMA) category as given in the Table below:

Special Mention Account Sub-categories	**Basis for classification**
(1)	(2)
SMA-0	Principal or interest payment not overdue for more than 30 days but account showing signs of incipient stress
SMA-1	Principal or interest payment overdue between 31-60 days
SMA-2	Principal or interest payment overdue between 61-90 days

(2) Identification by the Enterprise - Any Micro, Small or Medium Enterprise may voluntarily initiate proceedings under this Framework if enterprise reasonably apprehends failure of its business or its inability or likely inability to pay debts and before the accumulated losses of the enterprise equals to half or more of its entire net worth.

(3) The application for initiation of the proceedings under this Framework shall be verified by an affidavit of authorised person.

(4) When such a request is received by lender, the account should be processed as SMA-0 and the Committee under this Framework should be formed immediately.

2. Committees for Stressed Micro, Small and Medium Enterprises

(1) Subject to any regulations prescribed by the Reserve Bank of India for this Framework, all banks shall constitute one or more Committees at such locations as may be considered necessary by the board of directors of such bank to provide reasonable access to all eligible Micro, Small and Medium enterprises which have availed of credit facilities from such bank.

(2) Subject to inclusion in categories referred to in paragraph 1, stressed Micro, Small and Medium Enterprises shall have access to the Committee for stressed Micro, Small and Medium Enterprises for deciding on a corrective action plan and determining the terms thereof in accordance with regulations prescribed in this Framework:

Provided that where the Committee decides that recovery is to be made as part of the corrective action plan, the manner and method of recovery shall be in accordance with the existing policies approved by the board of directors of the bank which has extended credit facilities to the enterprise, subject to any regulations prescribed by the Reserve Bank of India.

3. Composition of Committee for Stressed Micro, Small and Medium Enterprises.

(1) The constitution of the Committee shall be as under:

(a) The regional or zonal head of the bank, who shall be the Chairperson of the Committee;

(b) Officer in charge of the Micro, Small and Medium Enterprises Credit Department of the bank at the regional or zonal office level, who shall be the member and convener of the Committee;

(c) One independent external expert with expertise in Micro, Small and Medium Enterprises related matters to be nominated by bank.

(d) One representative from the concerned State Government

(2) The composition of the Committee, the terms of appointment of its members, the manner of filling vacancies, and the procedure to be followed in the discharge of the Committee's functions shall be as may be prescribed by the board of directors of the bank.

4. Application to the Committee for a Corrective Action Plan

(1) Any eligible stressed Micro, Small or Medium Enterprise or a bank or creditor which has provided credit facilities to such enterprise may file an application to the Committee in the manner specified by the Bank for a decision on a corrective action plan and the terms thereof.

Provided that if a Micro, Small or Medium Enterprise has availed of credit facilities from more than one bank, —

(a) the application shall be made to the Committee of that bank to which the enterprise owes the maximum amount of debt;

(b) the Committee shall include representatives from other concerned banks in such proportion as maybe specified in the regulations prescribed by the Reserve Bank of India;

(2) The participating banks or affected creditors shall cooperate with each other in all proceedings of the Committee.

(3) In case of disagreement between the participating banks or affected creditors on any issue before the Committee or any matter contemplated in this Framework, such disagreement shall be resolved in accordance with regulations prescribed by the Reserve Bank of India.

(4) The eligibility criteria and the grounds for filing an application and the time limits within which such application shall be made will be in accordance with the regulations prescribed by the Reserve Bank of India and only applications meeting the said eligibility criteria and grounds shall be admitted by the Committee.

(5) Where an application is filed by a Micro, Small or Medium Enterprise, such application shall be -

(a) filed in a form prescribed by the bank in consultation with the Reserve Bank of India; and

(b) accompanied by details of all liabilities of the enterprise, including the liabilities owed to the State or Central Government and unsecured creditors, if any.

(6) Where an application is filed by a bank and admitted by the Committee, the Committee shall notify the concerned enterprise about such application within the time limit prescribed by the Reserve Bank and require the enterprise to -

(a) respond to the application or make a representation before the Committee; and

(b) disclose the details of all its liabilities, including the liabilities owed to the State or Central Government and unsecured creditors, if any, within fifteen working days of receipt of such notice:

Provided that if the enterprise does not respond within the above period, the Committee may proceed *ex-parte* .

(7) On receipt of information relating to the liabilities of the enterprise, the Committee may send notice to such creditors of the enterprise as it may deem fit, informing them about the application and permit them to make a representation before the Committee within fifteen working days of receipt of such notice.

(8) On admitting an application received, the Committee shall take a decision on the option to be adopted under the corrective action plan in accordance with the regulations prescribed by the Reserve Bank of India and notify the enterprise about such a decision, within the time limit prescribed by the Reserve Bank of India.

(9) If the corrective action plan decided by the Committee envisages revival of the enterprise, the Committee shall finalise the terms of such a plan in accordance with the regulations prescribed by the Reserve Bank of India and notify the enterprise about such terms, within the time limit prescribed by the Reserve Bank of India.

(10) Upon finalisation of the terms of the corrective action plan for revival, the implementation of that plan shall be completed by the concerned bank within the time limit prescribed by the Reserve Bank of India.

(11) On and from the date of the coming into operation of the corrective action plan the plan shall be binding on all the parties to the corrective action plan.

(12) Where an application has been admitted by the Committee in respect of a Micro, Small or Medium Enterprise, the enterprise shall continue to perform contracts essential to its survival but the Committee may impose such restrictions as it may deem fit for future revival of the enterprise.

(13) On admitting the application, the Committee shall notify the enterprise within a period of seven working days from the date of admittance of such application, stating that such an application is under consideration by the Committee.

(14) The Committee shall make suitable provisions for payment of tax or any other statutory dues in the corrective action plan and the enterprise shall take necessary steps to submit such plan to the concerned taxation or statutory authority and obtain approval of such payment plan.

5. Corrective Action Plan by the Committee

(1) The Committee may explore various options to resolve the stress in the account.

(2) The Committee shall not endeavour to encourage a particular resolution option for restructuring or recovery of the enterprise but shall endeavour to arrive at an early and feasible solution to preserve the economic value of the underlying assets as well as the lenders' loans and also to allow the enterprise to continue with its business.

(3) During the period of operation of Corrective Action Plan, the enterprise shall be allowed to avail both secured and unsecured credit for its business operations.

(4) The options under Corrective Action Plan by the Committee may include:

(i) Rectification - Obtaining a specific commitment from the borrower to regularise the account so that the account comes out of Special Mention Account status or does not slip into the Non-Performing Asset category and the commitment should be supported with identifiable cash flows within the required time period and without involving any loss or sacrifice on the part of the existing lenders. The Committee may also consider providing need based additional finance to the borrower, if considered necessary, as part of the rectification process. It shall be ensured by the bank that additional financing is not provided with a view to ever-greening the account.

(ii) Restructuring - Consider the possibility of restructuring the account if it is prima facie viable and the borrower is not a willful defaulter, i.e., there is no diversion of funds, fraud or malfeasance, etc. Commitment from promoters for extending their personal guarantees along with their net worth statement supported by copies of legal titles to assets may be obtained along with a declaration that they would not undertake any transaction that would alienate assets without the permission of the Committee. Any deviation from the commitment by the borrowers affecting the security or recoverability of the loan may be treated as a valid factor for initiating recovery process. The lenders in the Committee may sign an Inter Creditor Agreement and also require the borrower to sign the Debtor Creditor Agreement which would provide the legal basis for any restructuring process. The formats used by the Corporate Debt Restructuring mechanism for Inter Creditor Agreement and Debtor Creditor Agreement could be considered, if necessary with appropriate changes for Enterprise Debt Restructuring as may be prescribed by Reserve bank of India. Further, a stand-still clause may be stipulated in the Debtor Creditor Agreement to enable a smooth process of restructuring. The stand-still clause does not mean that the borrower is precluded from making payments to the lenders. The Inter Creditor Agreement may also stipulate that both secured and unsecured creditors need to agree to the final resolution.

(iii) **Recovery** - Once the first two options at (a) and (b) above are seen as not feasible, due recovery process may be resorted to. The Committee may decide the best recovery process to be followed, among the various legal and other recovery options available, with a view to optimising the efforts and results.

6. The decisions agreed upon by a majority of the creditors by value in the Committee would be considered as the basis for proceeding with the restructuring of the account, and will be binding on all lenders under the terms of the Inter Creditor Agreement. If the Committee decides to proceed with recovery, the minimum criteria for binding decision, if any, under any relevant laws or Acts shall be applicable.

7. (1) The Committee shall arrive at an agreement on the option to be adopted for Corrective Action Plan within thirty days from, (i) the date of an account being reported as SMA-2 by one or more lender, or (ii) receipt of request from the borrower to form a Committee, with substantiated grounds, if it senses imminent stress.

(2) The Committee shall sign a detailed final Corrective Action Plan within the next thirty days from the date of arriving at such an agreement.

8. (1) If the Committee decides that the enterprise requires financial resources to restructure or revive, it may draw up a plan for provision of such finance.

(2) If the existing promoters are not in a position to bring in additional funds the Committee may allow the enterprise to raise secured or unsecured loans and create charge on its assets for such loans:

Provided further, the Committee may, with the consent of all creditors recognised under Paragraph 4 (7), provide such loans higher priority than any existing debt.

9. If the Committee decides on options (4) (i) or (ii), but the account fails to perform as per the agreed terms under option (4) (i) or (ii), the Committee shall initiate recovery under option (4) (iii).

10. If the Committee decides restructuring of the account as Corrective Action Plan, it will have the option of either referring the account to Enterprise Debt Restructuring Cell after a decision to restructure is taken or restructure the same independent of the Enterprise Debt Restructuring mechanism.

11. Restructuring by Committee

(1) If the Committee decides to restructure an account independent of the Enterprise Debt Restructuring mechanism, the Committee shall carry out the detailed Techno-Economic Viability study, and if found viable, finalise the restructuring package within thirty days from the date of signing off the final Corrective Action Plan as mentioned above.

(2) For accounts with Aggregate Exposure of less than Rs.10 crore, the above-mentioned restructuring package shall be approved by the Committee and conveyed by the lenders to the borrower within the next fifteen days for implementation.

(3) For accounts with Aggregate Exposure of Rs.10 crore and above, the above-mentioned Techno-Economic Viability study and restructuring package shall have to be subjected to an evaluation by an Independent Evaluation Committee of experts fulfilling certain eligibility conditions.

(4) The Independent Evaluation Committee shall look into the viability aspects after ensuring that the terms of restructuring are fair to the lenders.

(5) The Independent Evaluation Committee shall give their recommendation in these cases to the Committee within a period of thirty days.

(6) Thereafter, considering the views of Independent Evaluation Committee, if the Committee decides to go ahead with the restructuring, the restructuring package including all terms and conditions as mutually agreed upon between the lenders and borrower, shall be approved by all the lenders and communicated to the borrower within next fifteen days for implementation.

(7) Asset Classification benefit as applicable under the extant guidelines shall accrue to such restructured accounts as if they were restructured under Enterprise Debt Restructuring mechanism and for this purpose, the asset classification of the account as on the date of formation of Committee shall be taken into account.

(8) The above-mentioned time limits are maximum permitted time periods and the Committee shall try to arrive at a restructuring package as soon as possible in cases of simple restructuring.

(9) Restructuring cases shall be taken up by the Committee only in respect of assets reported as Standard, Special Mention Account or Sub-Standard by one or more lenders of the Committee.

(10) The Committee shall have the discretion to consider restructuring of the debt, where the debt is doubtful i.e., the account is Standard or Sub-Standard in the books of majority of creditors (by value).

(11) Willful defaulters shall not be eligible for restructuring:

Provided that the Committee may review the reasons for classification of the borrower as a willful defaulter and satisfy itself that the borrower is in a position to rectify the willful default and the decision to restructure such cases shall have the approval of the board of concerned bank within the Committee who has classified the borrower as willful defaulter.

(12) (a) The viability of the account shall be determined by the Committee based on acceptable viability benchmarks determined by them.

(b) The parameters may include the Debt Equity Ratio, Debt Service Coverage Ratio, Liquidity or Current Ratio and the amount of provision required in lieu of the diminution in the fair value of the restructured advance, etc.

(c) The Committee may consider the benchmarks for the viability parameters adopted by the Enterprise Debt Restructuring mechanism and adopt the same with suitable adjustments taking into account the fact that different sectors of the economy have different performance indicators.

IndiaCode

12. Restructuring Referred by the Committee to the Enterprise Debt Restructuring Cell

(1) If the Committee decides to refer the account to Enterprise Debt Restructuring Cell after a decision to restructure is taken the following procedure may be followed.

(a) As the preliminary viability of account has already been decided by the Committee, Corporate Debt Restructuring / Enterprise Debt Restructuring Cell shall directly prepare the Techno-Economic Viability study and restructuring plan in consultation with Committee within thirty days from the date of reference to it by the Committee.

(b) For accounts with Aggregate Exposure of less than Rs.10 crore, the above-mentioned restructuring package should be submitted to Enterprise Debt Restructuring Empowered Group for approval.

(c) Under extant instructions, Enterprise Debt Restructuring Empowered Group can approve or suggest modifications but ensure that a final decision is taken within a total period of ninety days, which can be extended up to a maximum of one hundred and eighty days from the date of reference to Enterprise Debt Restructuring Cell.

(d) The cases referred to Enterprise Debt Restructuring Cell by Committee shall have to be finally decided by the Enterprise Debt Restructuring Empowered Group within the next thirty days. If approved by Enterprise Debt Restructuring Empowered Group, the restructuring package shall be approved by all lenders and conveyed to the borrower within the next thirty working days for implementation.

(2) For accounts with Aggregate Exposure of Rs.10 crore and above, the Techno-Economic Viability study and restructuring package prepared by Enterprise Debt Restructuring Cell will have to be subjected to an evaluation by an Independent Evaluation Committee of experts.

(3) The composition and other details of the Independent Evaluation Committee would be communicated separately by Indian Banks Association to banks. The Independent Evaluation Committee will look into the viability aspects after ensuring that the terms of restructuring are fair to the lenders.

(4) The Independent Evaluation Committee shall give their recommendation in these aspects to the Enterprise Debt Restructuring Cell under advice to Committee within a period of thirty days.

(5) Considering the views of Independent Evaluation Committee if the Committee decides to go ahead with the restructuring, the same shall be communicated to Enterprise Debt Restructuring Cell and Enterprise Debt Restructuring Cell shall submit the restructuring package to Enterprise Debt Restructuring Empowered Group within a total period of seven days from receiving the views of Independent Evaluation Committee.

(6) Thereafter, Enterprise Debt Restructuring Empowered Group should decide on the approval or modification or rejection within the next thirty working days.

(7) If approved by Enterprise Debt Restructuring Empowered Group, the restructuring package shall be approved by all lenders and conveyed to the borrower within the next thirty working days for implementation.

13. Conditions Relating to Restructuring by Committee and Enterprise Debt Restructuring Cell

(1) Under this Framework, the restructuring package shall stipulate the timeline during which certain viability milestones such as improvement in certain financial ratios after a period of 6 months may be achieved.

(2) The Committee shall periodically review the account for achievement/non-achievement of milestones and shall consider initiating suitable measures including recovery measures as deemed appropriate.

(3) Any restructuring under this Framework shall be completed within the specified time periods.

(4) The Committee and Enterprise Debt Restructuring Cell shall optimally utilise the specified time periods so that the aggregate time limit is not breached under any mode of restructuring.

(5) If the Committee or the Enterprise Debt Restructuring Cell takes a shorter time for an activity as against the prescribed limit, then it can have the discretion to utilise the saved time for other activities provided the aggregate time limit is not breached.

(6) The general principle of restructuring shall be that the stakeholders bear the first loss rather than the debt holders. The Committee or Enterprise Debt Restructuring Cell may consider the following options, when a loan is restructured—

(a) possibility of transferring equity of the company by promoters to the lenders to compensate for their sacrifices;

(b) promoters infusing more equity into their companies;

(c) transfer of the promoters' holdings to a security trustee or an escrow arrangement till turnaround of enterprise to enable a change in management control, if lenders favour it.

(7) In case a borrower has undertaken diversification or expansion of the activities which has resulted in the stress on the core-business of the group, a clause for sale of non-core assets or other assets may be stipulated as a condition for restructuring the account, if under the Techno-Economic Viability study the account is likely to become viable on hiving-off of non-core activities and other assets.

(8) For restructuring of dues in respect of listed companies, lenders may be *ab-initio* compensated for their loss or sacrifice (diminution in fair value of account in net present value terms) by way of issuance of equities of the company upfront, subject to the extant regulations and statutory requirements.

(9) If the lenders' sacrifice is not fully compensated by way of issuance of equities, the right of recompense clause may be incorporated to the extent of shortfall.

(10) In order to distinguish the differential security interest available to secured lenders, partially secured lenders and unsecured lenders, the Committee or Enterprise Debt Restructuring may consider various options, such as—

(a) prior agreement in the Inter Creditor Agreement among the above classes of lenders regarding repayments;

(b) a structured agreement stipulating priority of secured creditors;

(c) appropriation of repayment proceeds among secured, partially secured and unsecured lenders in certain pre-agreed proportion.

(11) The Committee shall, on request by the enterprise or any creditor recognised under paragraph 4(7), provide information relating to the proceeding as requested by the enterprise or such creditor.

IndiaCode

14. Prudential Norms on Asset Classification and Provisioning

(1) While a restructuring proposal is under consideration by the Committee or Enterprise Debt Restructuring Cell, the usual asset classification norm shall continue to apply.

(2) The process of re-classification of an asset shall not stop merely because restructuring proposal is under consideration.

(3) The special asset classification benefit on restructuring of accounts as per extant instructions shall be available for accounts undertaken for restructuring under this Framework.

15. Review.

(1) In case the Committee decides that recovery action is to be initiated against an enterprise, such enterprise may request for a review of the decision by the Committee within a period of thirty working days from the date of receipt of the decision of the Committee.

(2) The request for review shall be on the following grounds:

(a) a mistake or error apparent on the face of the record; or

(b) discovery of new and relevant fact or information which could not be produced before the Committee earlier despite the exercise of due diligence by the enterprise.

(3) A review application shall be decided by the Committee within a period of thirty days from the date of filing and if as a consequence of such review, the Committee decides to pursue a fresh corrective action plan, it may do so.

16. Removal of difficulties

If any difficulty arises during the course of implementation of this Framework, the same shall be clarified by the Central Government.

[F. No. NCEUS Cell/4/2010-Pt.]

S. N. TRIPATHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.